प्रताप नगर जंगल से हजारों रुपये की खैर की लकड़ी चोरी

सवेरा न्यूज, ओमपाहवा

यमुनानगर, 18 अप्रैल : प्रताप नगर क्षेत्र के जंगल से खैर तस्करों ने हजारों रुपये की खैर की लकड़ी काटकर चोरी कर ली। पुलिस ने वन दरोगा की शिकायत पर दो खैर तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार प्रताप नगर ब्लॉक रेंज कलेसर के वन दरोगा संदीप ने प्रताप नगर पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि प्रताप नगर जंगल में खैर के पेड़ लगे हुए हैं। 17 अप्रैल को शाम चार बजे उसे सूचना मिली थी कि जंगल से कुछ लोगों ने खैर के पेड़ काटकर चोरी कर लिए हैं। सूचना मिलते ही वह टीम के साथ मौके पर पहुंचा। इस दौरान जंगल से तीन खैर के पेड़ कटे मिले। जांच करने पर पता चला कि यह खैर के पेड़ गांव खिल्लेवाला निवासी मुंशी व आरिफ ने काटे हैं। उसने आरोपियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद दोनों खैर तस्करों स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी।

नई दिल्ली में शिक्षा सुधारों पर मंथन: हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से लिया मार्गदर्शन

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 18 अप्रैल : हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री महीपाल ढांडा ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री मनोहर लाल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और सुधारात्मक पहलों पर विस्तार से चर्चा की तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन प्राप्त किया। बैठक के दौरान शिक्षा मंत्री ने राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता सुधार, डिजिटल लर्निंग, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास तथा विद्यार्थियों के समग्र विकास से जुड़ी योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार शिक्षा प्रणाली को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने राज्य सरकार द्वारा शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है और इसमें नवाचारों को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि तकनीक आधारित शिक्षा को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर की प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में और अधिक प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

रिश्वत लेते क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार, 2 लाख रुपए किए बरामद

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़/जींद, 18 अप्रैल : राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV & ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए एक अहम सफलता हासिल की है। ब्यूरो की टीम ने राजस्व विभाग से जुड़े एक मामले में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने और लेते हुए आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस अवसर पर एसीबी प्रमुख पुलिस महानिदेशक श्री ए.एस. चावला ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध राज्य सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के कुशल मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन (Corruption-Free Governance) सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह संकल्पित है। मुख्यमंत्री श्री सैनी के विजन के अनुरूप, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज्य में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निरंतर कड़े कदम उठा रहा है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि यदि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत एसीबी के हेल्पलाइन नंबर 1064 या कार्यालय में दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध त्वरित और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

क्या था मामला

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता शिकायत दी थी कि रवि सिंह, जो कि हरियाणा के वित्तायुक्त (राजस्व) की अदालत, चंडीगढ़ में क्लर्क के पद पर कार्यरत है, शिकायतकर्ता से उसके पक्ष में अपील का निर्णय करवाने के एवज में 2,00,000 रुपये की रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायत के आधार पर SV & ACB जींद की टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप लगाया। आरोपी रवि सिंह को जी.टी. रोड, गन्नौर स्थित श्री श्याम ढाबा के पास 2,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया गया। इस संबंध में थाना SV & ACB रोहतक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत एफआईआर नंबर 12 दिनांक 18.04.2026 दर्ज की गई है। ट्रैप की कार्यवाही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 105 के तहत विधिवत रूप से संपन्न की गई।

180 ग्राम अफीम सहित आरोपी पिता-पुत्र गिरफ्तार

सवेरा न्यूज/ धर्मेंद्र सिंह

गुहला चीका, 18 अप्रैल : चौकी रामथली पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला कर भागने की कोशिश करने वाले आरोपी पिता-पुत्र को 180 ग्राम अफीम सहित काबू किया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि चौकी रामथली पुलिस प्रभारी एसआई राजबीर सिंह की टीम गश्त के दौरान गुहला क्षेत्र में मौजूद थी। इसी दौरान एक सूचना मिली कि एक गाड़ी में नाजायज असला लेकर एक व्यक्ति खरकां की तरफ से आकर चीका की ओर जाएगा। इस पर तुरंत दो पुलिस पार्टियां गठित कर गुहला-चीका रोड पर नाकाबंदी की गई। कुछ समय बाद गाड़ी दिखाई दी जिसे रोकने का इशारा किया गया लेकिन चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय तेज रफ्तार से भागने का प्रयास किया और पीछे खड़ी पुलिस गाड़ी को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं चालक ने पुलिस कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी भी दी और बार-बार गाड़ी से टक्कर मारकर रास्ता बनाने की कोशिश की। पुलिस द्वारा दोनों तरफ से घेराबंदी करने पर गाड़ी बीच में फंस गई। इसी दौरान गाड़ी में सवार दो व्यक्तियों ने कुछ नशीले पदार्थ को निगलने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने दोनों के मुंह से पदार्थ बरामद कर लिया गया।

पूछताछ में दोनों की पहचान साधा राम तथा उसके पुत्र गुरमुख निवासी डेरा बाजीगर चाणचक के रूप में हुई। जांच के दौरान गुरमुख सिंह के पास से 95 ग्राम तथा साधा राम के पास से 85 ग्राम अफीम बरामद हुई। इस बारे थाना गुहला में मामला दर्ज कर मौके पर पहुंचे एएसआई संदीप कुमार द्वारा आरोपियों को काबू कर गाड़ी जब्त कर ली गई। साधा राम का अदालत से 4 दिन पुलिस रिमांड हासिल किया गया, जबकि गुरमुख को अदालत के आदेशानुसार न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

अवैध प्रचार सामग्री हटेगी, खर्च उम्मीदवार/दल से वसूला जाएगा : देवेंद्र सिंह कल्याण

सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 18 अप्रैल : हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री देवेंद्र सिंह कल्याण ने नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के मद्देनजर लागू आदर्श आचार संहिता के तहत हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1989 के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के संज्ञान में आया है कि कई उम्मीदवार और राजनीतिक दल सार्वजनिक व निजी संपत्तियों पर अवैध रूप से पोस्टर-बैनर लगा रहे हैं और दीवारों पर लिखाई कर रहे हैं, जो कानून का उल्लंघन है और प्रदेश की सुंदरता को प्रभावित करता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि इस एक्ट की धारा- 3 और 3-ए के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आने वाली संपत्ति को स्याही, चॉक, पेंट या अन्य माध्यम से लिखकर या चिन्हित करना प्रतिबंधित है। इसी तरह सरकारी भवनों, बिजली के खंभों, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों या मूर्तियों पर पोस्टर, बैनर या फ्लेक्स लगाना तथा सार्वजनिक परिवहन, खासकर राज्य परिवहन की बसों पर प्रचार सामग्री चिपकाना पूरी तरह से मना है। यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है।

आयुक्त ने कहा कि ऐसे मामलों में अवैध प्रचार सामग्री हटाने और संपत्ति को पहले जैसी स्थिति में लाने का खर्च संबंधित उम्मीदवार या राजनीतिक दल से वसूला जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस तरह की गतिविधि होती है, तो उसे इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, जब तक वह यह साबित न कर दे कि यह उसकी जानकारी या सहमति के बिना हुआ है।

उन्होंने निर्देश दिए कि उम्मीदवार केवल उन्हीं स्थानों पर प्रचार सामग्री लगाएं, जो शहरी क्षेत्रों में कार्यकारी अधिकारी/सचिव और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीपीओ/पंचायत अधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिन संपत्ति मालिकों ने अपनी दीवारों पर विज्ञापन की अनुमति नहीं दी है, वे इसकी शिकायत संबंधित पर्यवेक्षक या उपायुक्त को कर सकते हैं। आयोग ने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि ऐसी शिकायत मिलने पर 24 घंटे के भीतर अवैध सामग्री हटाई जाए। हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि लोकतंत्र में भागीदारी जरूरी है, लेकिन यह सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी उम्मीदवारों से अपील की कि वे आदर्श आचरण अपनाएं और स्वच्छ व निष्पक्ष चुनाव में सहयोग करें। साथ ही, उड़न दस्तों को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई के लिए अधिकृत किया गया है। किसी भी शिकायत के लिए उपायुक्त, नगर आयुक्त, रिटर्निंग अधिकारी या अन्य अधिकृत अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

फ्लैट बुकिंग के नाम पर लगभग 6.19 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार

सवेरा न्यूज प्रियंका अग्रवाल

रेवाड़ी, 1 8 अप्रैल : साइबर थाना पुलिस ने बीते वर्ष जून माह में गांव भोतवास भोंदू निवासी एक व्यक्ति से फ्लैट बुकिंग के नाम पर लगभग 6.19 लाख रुपये की साइबर ठगी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान यूपी के जिला लखनऊ के फैजुलागंज के आदर्श नगर निवासी उदय पाण्डेय के रूप में हुई है। पुलिस इस मामले में एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जांचकर्ता ने बताया की गत वर्ष 28 जुलाई को गांव भोतवास भोंदू निवासी कुलदीप शर्मा ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके पास 3 जून 2025 को व्हाट्सएप कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने उसे घर बैठ काम करते हुए पैसा कमाने का लालच दिया था। उसने इसके लिए मना कर दिया। दो-तीन दिन बाद उसे टेलीग्राम पर एबीसीसी प्रोजेक्ट के बारे में फ्लैट बुकिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगाने को कहा। उसके पास एक लिंक भेजकर उसे प्लान समझाया गया। उसने झांसे में आकर 8 ट्रांजेक्शन के जरिए 6 लाख 19 हजार 89/- रुपये बताए गए बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद उसने फ्लैट बुकिंग का लेटर या रसीद मांगी, तो उन लोगों ने रसीद या लेटर नहीं दिए। उससे और अधिक पैसे की मांग की गई, तो उसकी ठगी का पता चला।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने लिया तैयारियों का जायजा

सवेरा न्यूज़/सन्नी चौहान/अनिल लांबा

करनाल, 18 अप्रैल। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के 19 अप्रैल को करनाल में प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर डीसी डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों के संबंध में जानकारी ली व आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। गौरतलब है कि 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करनाल के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री करनाल में श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर आयोजित विशेष धर्मसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे।

इस दौरान डीसी ने कार्यक्रम स्थल व हैलीपैड का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान डीसी ने अधिकारियों को सुरक्षा, पार्किंग व कार्यक्रम के समुचित संचालन संबंधी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस विभाग के अधिकारियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और सुचारू यातायात व्यवस्था संचालन के निर्देश दिए। बिजली निगम के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर बिजली की उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था आदि के समुचित प्रबंध करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान कोई भी कर्मचारी व अधिकारी कौताही न बरतें, सभी तत्परता के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें। इस मौके पर एसपी नरेंद्र बिजारणिया, एडीसी डॉ. राहुल रईया, एसडीएम करनाल देवेंद्र शर्मा, डीएसपी करनाल संदीप कुमार, डीएसपी इंद्री सतीश गौतम, बीडीपीओ करनाल मोनिका सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

युवक ने बहला फुसला कर महिला के साथ किया दुष्कर्म

सवेरा न्यूज, ओमपाहवा

यमुनानगर, 18 अप्रैल : शहर यमुनानगर की एक कॉलोनी में युवक ने बहला फुसला कर महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोप है कि इस दौरान आरोपी युवक ने महिला की अश्लील वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी युवक के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। जानकारी के अनुसार शहर की एक कालोनी निवासी 32 वर्षीय महिला ने महिला पुलिस थाने में दी शिकायत में बताया कि उसकी विशाल के साथ जान पहचान थी। इस दौरान आरोपी विशाल ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। इसके बाद वह उससे मोबाइल पर बात करने लगा। आरोपी ने बहला फुसलाकर उसे गत 31 जनवरी को मिलने के लिए बुलाया। जब वह आरोपी से मिलने के लिए गई तो आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने उसकी वीडियो बना ली।

आरोपी ने इस बारे में किसी को बताने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी उसकी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।

सवेरा क्लासीफाइड

नाम परिवर्तन

I, Chandar Singh Airy Father of Neeraj Singh Airy resident of Village- Daura, Post- Doura, Tehsil- Ashkot, District- Pithoragarh, State- Uttarakhand, Pin-262551, have changed my name from Chandar Singh Airy to Chandra Singh Vide affidavit No.IN-PB41114863332218Y dated 18 April 2026 before notary public Pathankot

I, No.15482300L DFR Vykuntarao Kuna resident of Village- Vyasulapeta, Post- Sarubujjjili, Tehsil- Sarubujjjili, District- Srikakulam, State- Andhra Pradesh, Pin-532458, have changed my Son name from Tarun to Kuna Tharun Kumar Vide affidavit No.IN-PB41115712883067Y dated 18 April 2026 before notary public Pathankot.

I, T Saritha spouse of No.15498507P LD B Sagar resident of Village- Srirampur Colony Post- Srirampur Colony, Tehsil- Luxetpet, District- Mancherial, State- Telangana, Pin-504303, have changed my name from T Saritha to Saritha Tuti Vide affidavit No.IN- PB41175322 834408Y dated 18 April 2026 before notary public Pathankot.

I,Vandana D/O Raj Kumar R/O H.No 74/Street No.2 Avtar Nagar Jalandhar. Announce that My 10th Class Certificate written My Mother Name Roshani is Wrongly. My Mother Correct Name is Roshni. Please change My Mother Name Correct.

ਮੈਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬਲਗਨ ਤਹਿਸੀਲ ਦਸੂਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

I,NO. No. 15219965H NK (W/M), Selva Kumar, of (Unit) 93Med, Regt, C/o 56 APO presently serving at, HQ BTY, Resident of 42 Bharathiyar Street/Sathur, Post Office District Satur Vellore, State Temil Nadu - 632521, do hereby solemnly affirm and declare That I have changed my mother's name from MUNI YAMMAL JAYARAJI and date of birth from 23/07/1968 to 04/06/1965 due to variation in my service racord.

I, No.15219965H, NK (W/M), selvakumar, of (Unit) 93 Med Regt. C/O 56 APO, presently serving at HQ BTY, Resident of 42 Bharathiyar street/village Sathur, Post Office Satur, District Vellore, State Tamil Nadu 632521. Hereby declare that I have changed my mother's name from MUNI YAMMAL JAYARAJI and date of birth from 23/07/1968 to 04/06/1965 Due to wrongly entered in my service record. Both DOB Pertains to one and the same person. Vide Affidavit No. IN-PB410268635660499Y Dated 17.04.2026 Attested by Notary Public (GOVT OF INDIA) Kindly Correct it

I, Parvatamma Jalihal Mother of No.15746167F NK Shrikanth Kenchappa Jalihal resident of Village- Togunasi, Post- Gulledgudda, Tehsil- Gulledgudda, District- Bagalkot, State- Karnataka, Pin-587203, have changed my name from Parvati Jalihal to Parvatamma Jalihal Vide affidavit No.IN-PB41306889245375Y dated 18 April 2026 before notary public Pathankot

I, Savitre Devi Mother of No.15814497F Hav Hanuman resident of Village- Jonawas, Post- Mahendergarh, Tehsil- Mahendergarh, District- Mahendergarh, State- Haryana, Pin-123029, have changed my name from Savitri to Savitre Devi Vide affidavit No.IN-PB41306258046342Y Dated 18 April 2026 before notary public Pathankot

I, Lila Ram Father of No.15814497F Hav Hanuman resident of Village- Jonawas, Post- Mahendergarh, Tehsil- Mahendergarh, District- Mahendergarh, State- Haryana, Pin-123029, have changed my name from Leela Ram to Lila Ram Vide affidavit No.IN-PB41305866574597Y Dated 18 April 2026 before notary public Pathankot

I, Durga Suryakant More Mother of No.15799493L Hav(OFC) More Akash Suryakant resident of Village- Basmath, Post- Basmath, Tehsil- Basmath, District- Hingoli, State- Maharashtra, Pin-431512, have changed my name from Durga to Durga Suryakant More Vide affidavit No.IN-PB41307155234865Y dated 18 April 2026 before notary public Pathankot

बेदखली

मैं, रोशन लाल कपूर पुत्र श्री गुरमुख दास, निवासी मकान नं. 01, बालोके रोड, नजदीक मन्न रिजॉर्ट, संत विहार एक्सटेंशन, हैबोवाल कलां, लुधियाना, अपनी बहू नेहा पत्नी स्वर्गीय सुनील कपूर तथा उसके बच्चों दिवांश राज कपूर, अमन राज कपूर और जोशिका कपूर को मेरे कहने से बाहर होने के कारण अपनी चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल करता हूँ। उनके साथ लेन-देन करने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। मेरी और मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

ਮੈਂ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 3132 9218 5260) ਪੁੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ 135 ਨਿਊ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਗਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ-ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਮਾਮ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ।

बेदखली

ਮੈਂ ਬੰਸੋ ਪਤਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3482 ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ।

ਮੈਂ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3482 ਮੁਹੱਲਾ ਕਾਲੀਆਂ ਨਕੋਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਇਸ਼ੂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਸਵਿਤਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਨੋਟ ਕਰਨ।

सूचना

ਮੈਂ ਨਵੀਨ ਸਿੰਘ (ਅਧਾਰ ਨੰਬਰ 3352-4323-0444) ਪੁੱਤਰ ਲੇਟ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਹਟਲੀ ਮੋੜ, ਕਠੂਆ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਜਿਸਦਾ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 20ਆਰ/13 (2-15) ਦਾ 5/55 ਹਿਸਾ ਰਕਬਾ 0-5 ਮਰਲੇ ਪਿੰਡ ਸਾਊਲੀ-ਭਾਊਲੀ ਤਹਿਸੀਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਸਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2021-22/44/4/441 ਮਿਤੀ 09/03/2022 ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ 4366-8909-5714) ਪੁੱਤਰ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਨੇੜੇ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੰਬਰ 2024-25/44/4/150 ਮਿਤੀ 31/07/2024 ਰਾਹੀਂ ਕੈਂਸਲ (ਰੱਦ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਉਕਤ ਮੁਖਤਿਆਰਨਾਮਾ ਆਮ ਮਨਸੂਖੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮਾ ਨੰਬਰ IN-PB40836727037684Y ਮਿਤੀ 17/04/2026

आवश्यक सूचना

पाठकों से अनुरोध है कि समाचारपत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन के संबंध में किसी भी प्रकार का कदम उठाने (धन भेजने, चिकित्सकीय सलाह अथवा अनुबंध) से पहले अच्छी तरह जांच कर लें। किसी उत्पाद या सेवाओं के संबंध में किसी विज्ञापनदाता के किसी भी प्रकार के दावों की दैनिक सवेरा टाइम्स जिम्मेदार नहीं होगा। प्रकाशक, संपादक और दैनिक सवेरा टाइम्स विज्ञापनदाताओं के अपने वायदों को पूरा न करने पर जिम्मेदार नहीं होंगे।

SWAMI DEVI DYAL INSTITUTE OF ENGG. & TECHNOLOGY

Vill. Golpura, Teh. Barwala, Distt. Panchkula
(Affiliated to Kurukshetra University, Kurukshetra & Approved by AICTE)
Email: principal@sddgpi.com Website: www.sddgpi.com

FACULTY REQUIREMENT

Applications are invited from eligible candidates for faculty positions on regular basis.
Director/ Principal : A dynamic academician with a Ph.D degree in Engineering and having suitable Administrative experience.

Designation	ECE	MECH	CSE	CSE (AI&ML)	CSE (Cyber Security)	Electical	Civil
Professors	1	1	2	1	1	1	1
Associate Professors	2	1	3	1	1	1	1
Assistant Professors	4	3	5	4	4	3	4

Qualification, Experience and pay scales are as per the AICTE/ Kurukshetra University norms.
Eligible candidate may apply within 21 days with complete resume, copies of testimonials and recent passport size photographs.
Contact: HR Ms. Himani - 9138953508 President

THE SAHIBZADA CO-OPERATIVE HOUSE BUILDING SOCIETY LIMITED, (Regd. No:- 974)

AT CAR GARAGE OF FLAT NO. 4593-A, SECTOR-70, SAS NAGAR, MOHALI (PB).
APPOINTMENT OF ARCHITECT

Society invites expression of interest/bids from architects for it's multi storied group housing project at Sector-70, Mohali. Architect must be registered with council of architecture and Gmada. Architect will provide comprehensive Architectural Design, Engineering Services, Specifications, Preparation of Boq/ Tender and Statutory Drawings for Necessary Approvals From Gmada. The Architect Must have Wide Experience In Execution of Multi Storied Group Housing Projects (Planning, Structure Designing And Supervision) The Architect must have Completed Five Group Housing Project of more than 50 units with Total Cost of Rs. 20 to 30 Crores each. Submit your Expression of Interest Applications/Bids Within 7 Days from the date of Publication along with Profile list of Technical Staff, Detail of Projects Executed, All Type of Charges Schedule of Payments and all terms and Conditions, Managing Committee of the Society Reserves all rights to accept or reject any Bid without assigning any reasons.
President

पश्चिम रेलवे

सामग्री प्रबंधन विभाग
विभिन्न सामग्री की आपूर्ति
ई-प्रोक्योरमैंट निविदा सूचना संख्या एस/19/2026 दिनांक 15.04.2026

क्र.सं.	निविदा नं.	आइटमों का संक्षिप्त विवरण	प्रमात्रा	टीओडी
122	11255035B	ऑयल फायर्ड इंटरकनैक्टेड बॉयलर जिसकी कैपेसिटी 4000 Kg/Hr और 2000 Kg/Hr है, जो IBR नॉर्म्स के हिसाब से है।	1 अदद	20-मई-26
123	26267078	RDSO ड्राइंग नंबर: T-8822 के अनुसार थिक वेब स्विच एक्सपेंशन जॉइंट (TWSEJ) की सप्लाई के लिए एक साल का रनिंग कॉन्ट्रैक्ट।	785 सैट	15-मई-26
124	22253635A	एंड फ्रेम नॉन ड्राइविंग एंड असेंबली। (मशीन से बना)	63 अदद	15-मई-26
125	22263286	ऑयल कूलिंग ब्लोअर के लिए एल्यूमीनियम इम्पेलर	193 अदद	11-मई-26
126	09252056C	बेयरिंग शील्ड DE साइड [एंड शील्ड]	35 अदद	06-मई-26

विस्तृत सूचना ईएमडी, खरीद प्रतिबंध और विस्तृत निविदा शर्तों के संबंध में, कृपया वैबसाइट www.ireps.gov.in और wr.indianrailways.gov.in देखें। 0002
हमें लाइक करें: facebook.com/WesternRly • हमें फॉलो करें: X.com/WesternRly

दि सरगोधा कोऑप्रेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी (फर्स्ट) लिमिटेड, प्लॉट नंबर 10, सेक्टर 50-D, चंडीगढ़ - 160047

संदर्भ संख्या SCHBS/2026-27/09 तारीख 17-04-2026

सार्वजनिक सूचना
बेटे के नाम पर शेयर / फ्लैट का ट्रांसफर

आम लोगों को यह बताया जाता है कि नीचे दिए गए व्यक्ति ने अपने स्वर्गीय पिता के नीचे दिए गए शेयर/फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर करने के लिए अप्लाई किया है। यह चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट (एस्टेट ब्रांच) द्वारा समय-समय पर कोऑप्रेटिव सोसाइटीज में शेयर ट्रांसफर/फ्लैट बेचने की पॉलिसी के अनुसार है:

क्रम. नंबर	मौजूदा अलॉटी का नाम	मेंबरशिप/ ओनरशिप स्टेटस	उस व्यक्ति का नाम जिसके नाम पर ट्रांसफर किया गया है और फ्लैट बेचा जाना है	मेंबरशिप नंबर रजिस्टर्ड	फ्लैट नंबर	कैटेगरी
1	श्री सुरेश कुमार भंडारी पुत्र श्री बी.एल. भंडारी	मौत पर फैमिली ट्रांसफर	श्री आशुतोष भंडारी पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेश कुमार भंडारी H.No. 1078, फेज-V, मोहाली	002	3269, सरगोधा सोसाइटी सेक्टर 50D, चंडीगढ़	'बी'

आवेदक ने मौजूदा अलॉटी की मौत की वजह से ऊपर दिए गए शेयर/फ्लैट को अपने नाम पर ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट की है। अगर किसी को ऊपर दिए गए शेयर/फ्लैट के ट्रांसफर के बारे में कोई ऑब्जेक्शन है, तो पुरुष/महिला इस नोटिस के पब्लिश होने के 30 दिनों के अंदर नीचे साइन करने वाले को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स/सबूत के साथ लिखकर ऑब्जेक्शन(एस) दे सकता है। 30 दिनों का समय खत्म होने के बाद मिली ऑब्जेक्शन पर किसी भी तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा।
तारीख: 17 अप्रैल, 2026 जनरल सैक्रेटरी

निविदा सूचना

चंडीगढ़ पुलिस कोऑप्रेटिव हाउस बिल्डिंग (Ist) सोसाइटी लिमिटेड, सेक्टर 51, चंडीगढ़ के लिए एनवायरनमेंट क्लीयरेंस लेने के लिए कंसल्टेंट/प्रोफेशनल से 10 दिनों के अंदर सील्ड कोटेशन/ऑफर शुरू किया जा रहा है। काम की डिटेल बारे सोसाइटी के ऑफिस वालों से वर्किंग आवर्स में बात की जा सकती है।
(प्रेजीडैंट)

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF
Ms Navreet Kaur
Additional Civil Judge (Senior Division), Dera Bassi
Monika Wd/o Sh. Rajesh Soni R/o H. no. 1805, Sector 52, Chandigarh, natural guardian and next friend, minor son namely Kishan Kumar Soni S/o Sh. Rajesh Soni, son namely Kanhaiya Soni S/o Sh. Rajesh Soni and minor namely Pari D/o Sh. Rajesh Soni, all R/o 11. no. 1805. Sector 52, Chandigarh
Vs.
General Public
Petition U/s 8 of Hindu Minority and Guardianship Act 1956 R/w section 29 of Guardian and Wards Act 1890
GW/14/2026
CNR No. PBSAB0-000554-2026
Next Date:-20-05-2026
PUBLICATION ISSUED TO:
General Public
In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 20-05-2026 at 10:00 a.m.
For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?Mod=district_notice&district=mogacourt
Additional Civil Judge (Senior Division) Dera Bassi
Dated, this day of 18-04-2026

COURT NOTICE

(U/o 5 Rule 20 CPC)
IN THE COURT OF
Sh. Sachin Yadav
Addl. Civil Judge
(Sr.Divn.), Chandigarh
MS ALENCURE BIOTECH PVT. LTD
Vs.
MS MAYGRISS HEALTHCARE PVT LTD
SUIT FOR RECOVERY
CNR No. CHCH02-002872-2025
Next Date:- 28-04-2026
PUBLICATION ISSUED TO:
1.MS MAYGRISS HEALTH CARE PVT LTD. PLOT NO 230 VILLAGE MAHESHPUR SECTOR 21 PANCHKULA
2.MR.DEEPAK, (PROPRIETOR) MAYGRISS HEALTHCARE PVT LTD. PLOT NO 230 VILLAGE MAHESHPUR SECTOR 21 PANCHKULA
In above titled case, the defendant(s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 28-04-2026 at 10:00 a.m.
For details logon to https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Chandigarh.
Addl. Civil Judge (Sr.Divn.), Chandigarh
Dated, this day of 02-03-2026

कार्यालय ग्राम पंचायत भरोली

खण्ड - बरवाला, जिला- पंचकुला
सरपंच श्री मति सुमन लता मोबाइल 9813933303

प्रस्ताव न:-1 दिनाक 16-04-2026

आज की पंचायत मीटिंग में सरपंच ने बताया की एस.सी. चौपाल कंडम हो चुकी है PWD B&R पंचकूला विभाग से अनुमति कंडम की ली गयी है खंड JE से अनुमान भी लिया गया है ग्राम पंचायत द्वारा कंडम SC धर्मशाला की खुली बोली की जानी है खुली बोली दिनांक 20/04/2026 को दिन सोमवार समय दोपहर 12:00 बजे स्थान एस.सी. चौपाल में ही की जानी है। खुली बोली करने के लिए अखबार में विज्ञापन देकर व गांव में मुस्तही मुनादी करवाने का अधिकार सरपंच को दिया जिस किसी ग्राम पंचायत वासी को उक्त मलबा खरीदना हो, वह निर्धारित समय पर उपस्थित होकर बोली में भाग ले सकता है।
बोली प्रक्रिया पूर्ण: पारदर्शी ग्राम पंचायत के नियमानुसार की जाएगी। अधिकतम बोली लगाने वाले व्यक्ति के नाम बोली छोड़ दि जाएगी। अतः पंचायत ने सर्व सम्मति से प्रस्ताव पास किया। बोली के शर्ते मौके पर सुनाई जाएगी ग्राम पंचायत को बोली स्वीकार अथवा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित रहेगा।
नकल प्रस्ताव की एक प्रति BDPO बरवाला की सेवा में आगामी आवश्यक सूचनार्थ करवाई हेतु प्रेषित है।
Sarpanch
Gram Panchayat Bharouli Block Barwala Panchkula

सार्वजनिक सूचना

संपदा अधिकारी, एचएसवीपी के समक्ष। अर्बन एस्टेट का नाम, पंचकूला

विषय:- आवासीय मकान नंबर 586, सैक्टर 9, अर्बन एस्टेट, पंचकूला के संबंध में सह-मालिक श्री तिरलोक चंद गोयल पुत्र स्वर्गीय श्री राम कुमार गोयल की निर्वसीयत मृत्यु के परिणामस्वरूप मृतक की संपत्ति का स्थानांतरण।

स्वर्गीय श्री तिरलोक चंद गोयल, जो रिकॉर्ड के अनुसार उद्धृत संपत्ति के सह-मालिक थे, की 22 अगस्त 2006 को मृत्यु हो गई है और उनके पास कोई पंजीकृत या गैर-पंजीकृत वसीयत नहीं है, वे अपने पीछे निम्नलिखित कानूनी उत्तराधिकारी छोड़ गए हैं।
1) सीमा गोयल, 2) भावना अग्रवाल, 3) दीक्षा अग्रवाल।
श्रीमती सीमा गोयल पत्नी स्वर्गीय श्री तिरलोक चंद गोयल, निवासी मकान नंबर 586, सेक्टर 9, पंचकूला, हरियाणा-134109, कानूनी उत्तराधिकारी होने के नाते उक्त संपत्ति के मृतक के हिस्से को अपने नाम में स्थानांतरित करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं और श्रीमती सीमा गोयल के नाम पर पुनः आवंटन के लिए अनुरोध करना चाहते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को उक्त मकान के हस्तांतरण के खिलाफ आपत्ति है, तो वह इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर सहायक दस्तावेजों के साथ संपदा अधिकारी, एचएसवीपी, पंचकूला को लिखित रूप में आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता/सकती है, अन्यथा संपदा अधिकारी एचएसवीपी की नीति के अनुसार उक्त संपत्ति के हस्तांतरण / पुनर्आवंटन की अनुमति दे सकते हैं और बाद में कोई दावा होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
संपदा अधिकारी की ओर से कानूनी उत्तराधिकारी: सीमा गोयल, भावना अग्रवाल, दीक्षा अग्रवाल।

ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ

ਪੁੱਡਾ ਭਵਨ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ
ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ

ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ

Plot No. 882, ਸੈਕਟਰ-64, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਅਲਾਟੀ Sh. Amarjit Singh S/o Sh. Wazir Singh and Devender Kaur W/o Amarjit Singh ਦੀ ਮੌਤ ਮਿਤੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 08-01-2023 ਅਤੇ 16-11-2025 ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Sh. Narpinder Singh S/o Kulwant Singh, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡ ਨੰ: 16, ਸੈਕਟਰ-64, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਲਾਟੀ Sh. Amarjit Singh S/o Sh. Wazir Singh and Devender Kaur W/o Amarjit Singh ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:-
1) RUPINDER SINGH Son
2) JASPRIT SINGH Son
ਉਕਤ ਵਾਰਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਟ ਨੰ: 882 ਸੈਕਟਰ-64, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਛਪਣ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਨੰ: 882 ਸੈਕਟਰ-64, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ Sh. Narpinder Singh S/o Kulwant Singh, ਮਿਊਂਸਿਪਲ ਕੌਂਸਲ ਵਾਰਡ ਨੰ: 16, ਸੈਕਟਰ-64, ਐਸ ਏ ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਕਤ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਿਲਖ ਅਫ਼ਸਰ (ਹ)
ਗਮਾਡਾ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ